SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में
2023-24

बिहार सरकार

लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2023-24 के लिए

बिहार सरकार

प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के **'लेखे एक दृष्टि में'**, को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौंपी गयी दायित्व के निर्वहन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं। वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखाचित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी।

पुष्कर कुमार
महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
बिहार, पटना

स्थान : पटना

दिनांक : 6 जनवरी 2025

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

दृष्टिकोण:

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

उद्देश्य:

(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किये जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्य :

(हमारे आंतरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।)

- **स्वतंत्रता**
- **उद्देश्यता**
- **सत्यनिष्ठा**
- **विश्वसनीयता**
- **व्यवसायिक कुशलता**
- **पारदर्शिता**
- **सकारात्मक दृष्टिकोण**

विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	8
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा/आधिक्य की प्रवृत्ति	15
अध्याय-II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	17
2.3	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	19
2.4	राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश	21
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	22
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	23
2.7	सहायता अनुदान	23
2.8	लोक ऋण	24
अध्याय-III	**व्यय**	
3.1	परिचय	25
3.2	राजस्व व्यय	25
3.3	पूँजीगत व्यय	27
अध्याय-IV	**स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय**	
4.1	व्यय का संवितरण (2023-24)	29
4.2	स्कीम व्यय	29
4.3	स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31

अध्याय-V	**विनियोग लेखे**	
5.1	वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे का सार	32
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचतें	33
अध्याय-VI	**परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ**	
6.1	परिसंपत्तियाँ	36
6.2	ऋण तथा देयताएँ	36
6.3	गारंटियाँ	37
अध्याय-VII	**अन्य विषयें**	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	39
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण	39
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	39
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	40
7.5	लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	40
7.6	सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) को निधियों का अंतरण	41
7.7	राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ तथा अंतर्निहित सब्सिडी	42
7.8	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	42
7.9	सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का प्राप्त न होना	43
7.10	व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते में निधि का अंतरण	44
7.11	सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बीच प्राप्तियों और व्यय एवं राज्य द्वारा दिया गया ऋण तथा अग्रिम का सत्यापन	44
7.12	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	45
7.13	उचन्त लेखे शेष	46
7.14	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर व्यय	46
7.15	अप्रत्याशित और असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय	47
7.16	डीडीओ बैंक खाता में निधि का अंतरण	47
7.17	भारत सरकार लेखांकन मानक (आई0जी0ए0एस0) का अनुपालन	47

अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा आँकड़े का मिलान, वर्गीकरण, संकलन कर बिहार सरकार का लेखा तैयार करता है। यह संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रमंडलों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। 01.04.2019 से सीएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद लोक निर्माण तथा वन प्रमंडलों के लेखों को ट्रेजरी लेखों में विलय कर दिया गया है। प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा मासिक सिविल लेखे बिहार सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं। ये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: –

भाग-1 **समेकित निधि**	सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर और करेत्तर राजस्व सहित, ऋण की उगाही और दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) समेकित निधि में शामिल हैं। सरकार के सभी खर्चे और संवितरण, ऋण का संवितरण और लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित)इस निधि से पूरित किये जाते हैं।

भाग-2 **आकस्मिक निधि**	आकस्मिक निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय जो विधायिका से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है को पूरा करता है। ऐसा व्यय समेकित निधि से प्रतिपूरित होता है । बिहार सरकार के लिए इस निधि का अग्रदाय ₹350 करोड़ है।

भाग-3 **लोक लेखा**	लोक लेखा में ऋण से संबंधित लेनदेन (जो भाग 1 में सम्मिलित है उनके अलावे),'जमा','अग्रिम','प्रेषण' और 'उचंत' को दर्ज किये जायेंगे। ऋण और जमा सरकार की देय देनदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अग्रिम' सरकार के प्राप्य हैं। 'प्रेषण और उचंत' लेनदेन समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिन्हे लेखे के अंतिम शीर्षों में प्रविष्टि के पश्चात अंतिम रूप से समायोजित माना जाना है।

1.2.2 लेखे का संकलन

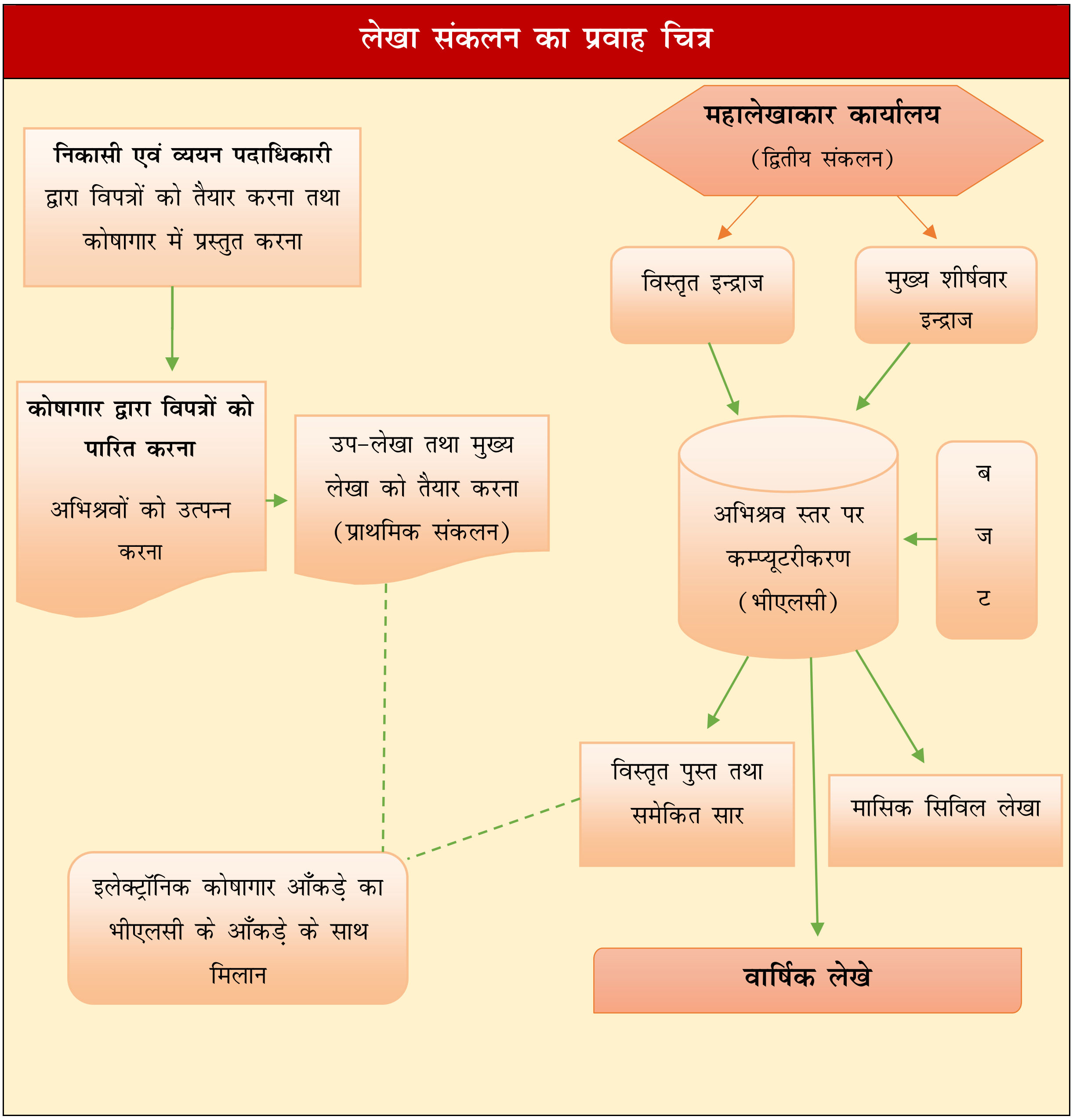

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के प्राप्तियों और संवितरणों का राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम, लोक ऋण तथा लोक लेखे में दर्ज शेषों के साथ लेखे में प्रदर्शित करता है । वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनापरक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'वित्त लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं । खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि सीधे जारी की है । वर्ष 2023-24 में, भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹18,617 करोड़ (₹24,302 करोड़ पिछले वर्ष) सीधे जारी किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती है, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

निम्नलिखित विवरणी वर्ष 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ बजट का विवरण प्रदान करता है।

	बजट अनुमान	**वास्तविकी**	**बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता**	**स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (*)**
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (केन्द्रीय अंशदान सहित)	1,52,437	1,61,965	106	19
2. करेतर राजस्व	6,512	5,257	81	1
3. सहायता अनुदान और अंशदान	53,378	26,125	49	3
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	2,12,327	1,93,347	91	23
5. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	432	96	22	0
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. उधार एवं अन्य दायित्व	25,567	35,660	139	4
8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	25,999	35,756	137	4
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	2,38,326	2,29,103	66	27
10. राजस्व व्यय	2,07,848	1,90,514	92	22
11. ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	18,354	19,072	104	2
12. पूँजीगत व्यय	29,257	36,453	125	4
13. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	1,221	2,136	175	0
14. कुल व्यय (10+12+13)	2,38,326	2,29,103	96	27
15. राजस्व अधिशेष/घाटा (4-10)	4,479	2,833	63	0
16. राजकोषीय घाटा (4+5-14)	25,567	35,660	139	4

(*) 2023-24 के लिए स0रा0घ0उ0 ₹8,54,429 करोड़ था।

वर्ष 2023-24 में प्राप्तियाँ और व्यय

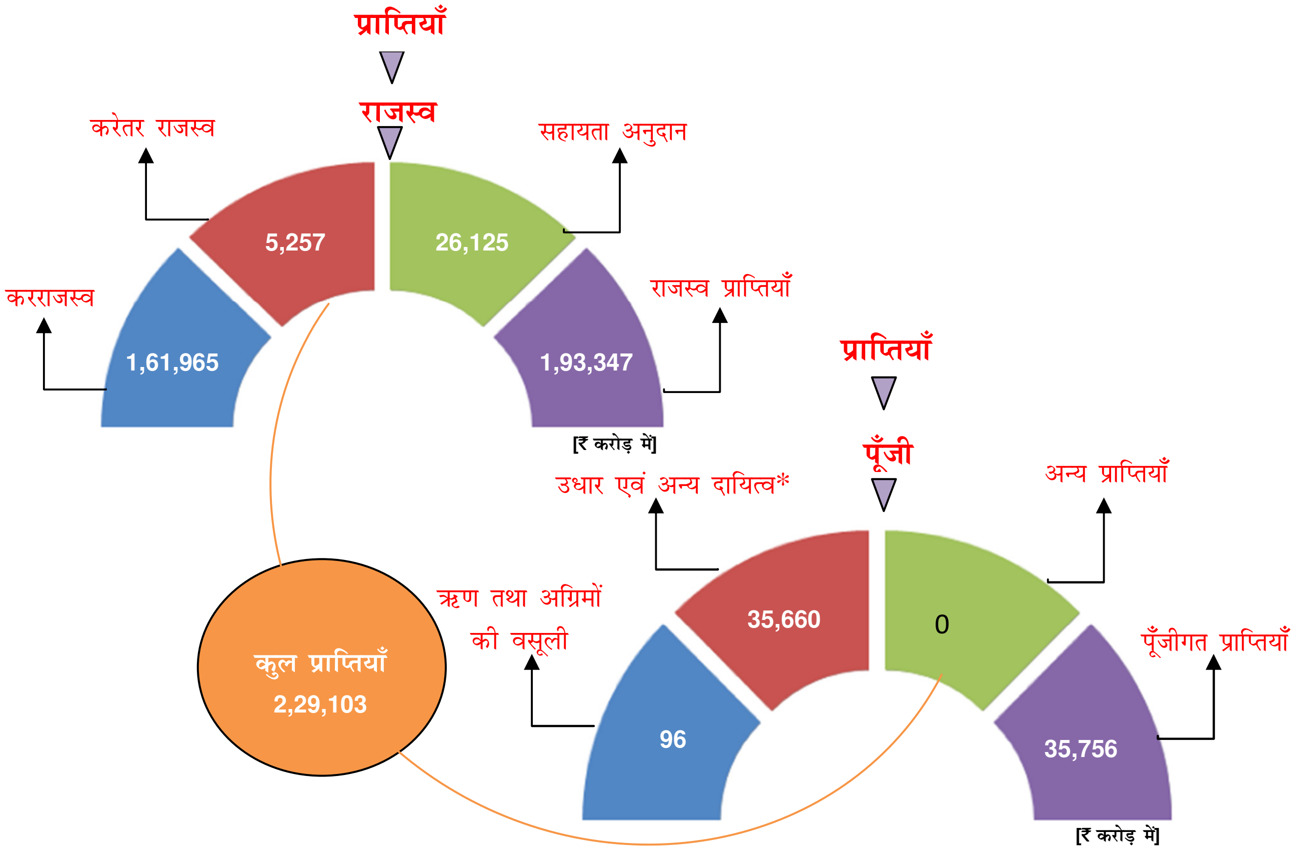

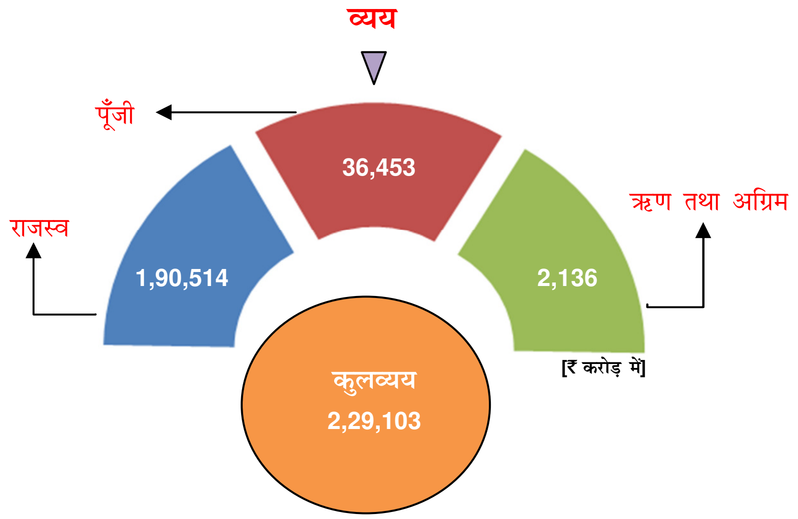

*उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ–संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ–संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 52 अनुदान/विनियोग है । विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2023-24 द्वारा ₹3,26,230 करोड़ का सकल व्यय और ₹0.01 करोड़ का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹2,60,718 करोड़ और व्यय में कमी ₹8,272 करोड़ हुआ। परिणामत: शुद्ध निवल बचत ₹67,749 करोड़ (20.77 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹8,272 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹4,718 करोड़ सम्मिलित है।

1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू० एम० ए०) की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

1.4.2 रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) तब लिया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बरकरार रखने की सीमा जो ₹1.73 करोड़ है में अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कमी आती है। वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिये कायम रखा।

1.4.3 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व आधिक्य ₹2,833 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹35,660 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमश: 0.33 प्रतिशत और 4.17 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 20.60 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण (₹37,238 करोड़), लोक लेखे ₹1,658 करोड़ की कमी और आदि तथा अंत शेष के निवल ₹79.22 करोड़ से पूरित किया गया। ₹70,313 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹1,93,347 करोड़) का लगभग 36.37 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹28,386 करोड़), ब्याज संदाय (₹17,606 करोड़) तथा पेंशन(₹24,321 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्रोत	1 अप्रैल 2023 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	806
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,347
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	96
	लोक ऋण	60,218
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,416
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	3,863
	जमा प्राप्तियाँ	96,229
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	0
	उचंत लेखा	6,57,276
	प्रेषण	0
	आकस्मिकता निधि	0
	जोड़	**10,14,251**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,90,514
	पूँजीगत व्यय	36,453
	प्रदत्त ऋण	2,136
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	22,979
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,672
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	2,641
	जमा राशि से किए गए व्यय	95,000
	प्रदत्त सिविल पेशगियाँ	0
	उचंत लेखा	6,61,127
	प्रेषण	2
	31 मार्च 2024 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष	727
	जोड़	**10,14,251**

1.4.4 रुपया जहाँ से आया

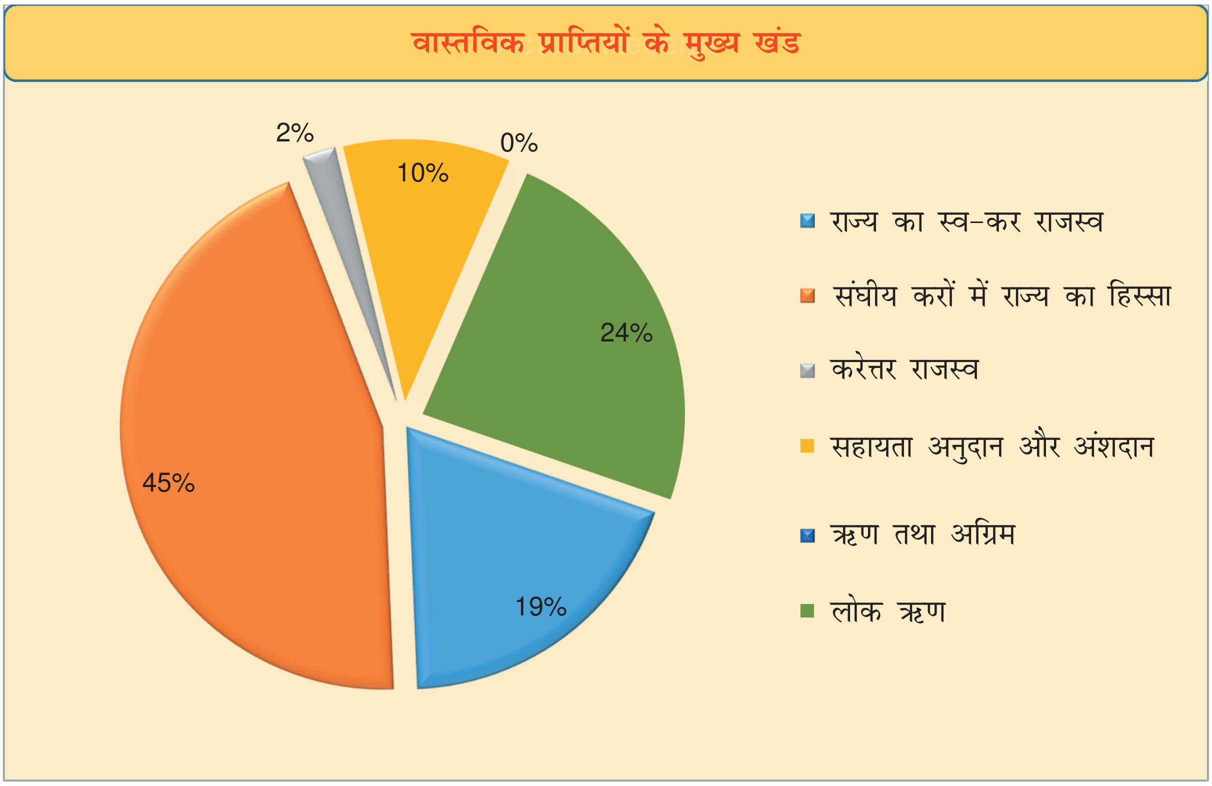

1.4.5 रुपया जहाँ गया

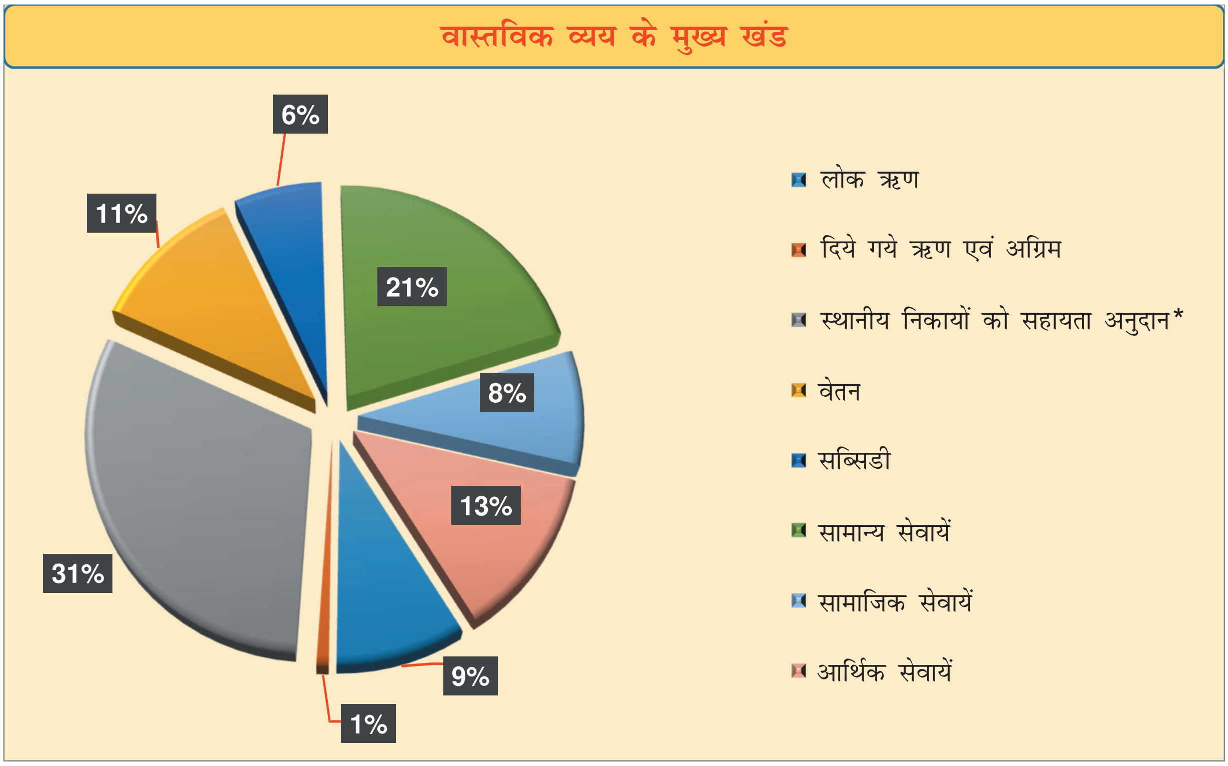

* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल हैं।

1.5 लेखे की विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2023-24	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता ($)
	(₹ करोड़ में)			
1. राज्य का स्व-कर राजस्व	49,700	48,361	97	6
2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा	1,02,737	1,13,604	111	13
3. करेत्तर राजस्व	6,512	5,257	81	1
4. सहायता अनुदान तथा अंशदान	53,378	26,125	49	3
5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	**2,12,327**	**1,93,347**	**91**	**23**
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	432	96	22	0
8. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	25,567	35,660	139	4
9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**25,999**	**35,756**	**138**	**4**
10. कुल प्राप्तियाँ (5+9)	**2,38,326**	**2,29,103**	**96**	**27**
11.स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (*)	**1,38,296**	**1,27,268**	**92**	**15**
12. राजस्व लेखा	1,38,012	1,27,048	92	15
13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी	18,354	19,050	104	2
14. पूँजीगत लेखा	284	220	77	0
15. स्कीम व्यय (*)	**1,00,030**	**1,01,835**	**102**	**12**
16. राजस्व लेखा	69,836	63,466	91	7
17. पूँजीगत लेखा	30,194	38,369	127	4
18. कुल व्यय (11+15)	**2,38,326**	**2,29,103**	**96**	**27**
19. राजस्व व्यय (12+16)	**2,07,848**	**1,90,514**	**92**	**22**
20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)	**30,478**	**38,589**	**127**	**5**
21. राजस्व आधिक्य/घाटा (5-19)(@)	**4,479**	**2,833**	**63**	**0**
22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18)(@)	**25,567**	**35,660**	**139**	**4**

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹8,54,429 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹36,453 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹2,136 करोड़) सम्मिलित है।

(*) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹87 करोड़ तथा स्कीम व्यय के अंतर्गत ₹2,049 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।

(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है।

घाटा और आधिक्य क्या निरूपित करता है ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्त्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतत: इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतत: उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।

1.6 घाटा/आधिक्य की प्रवृत्ति

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

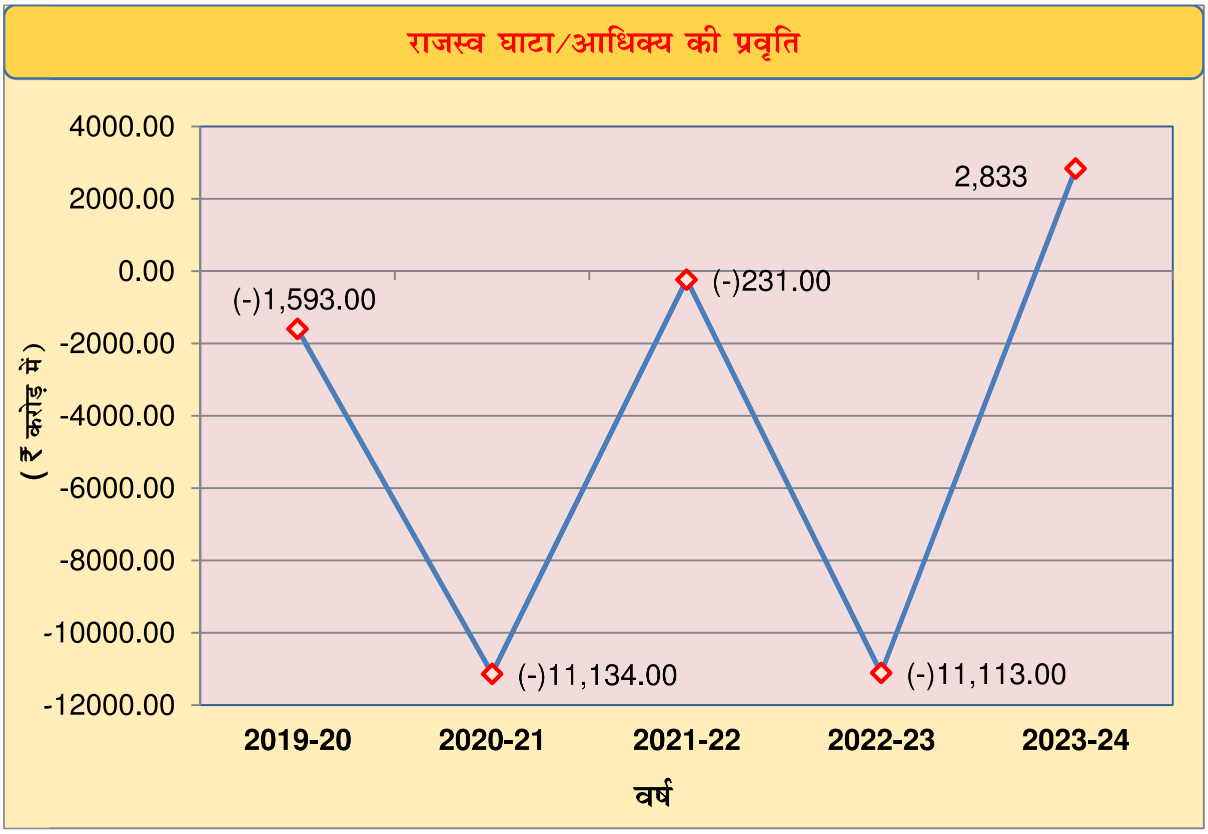

1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

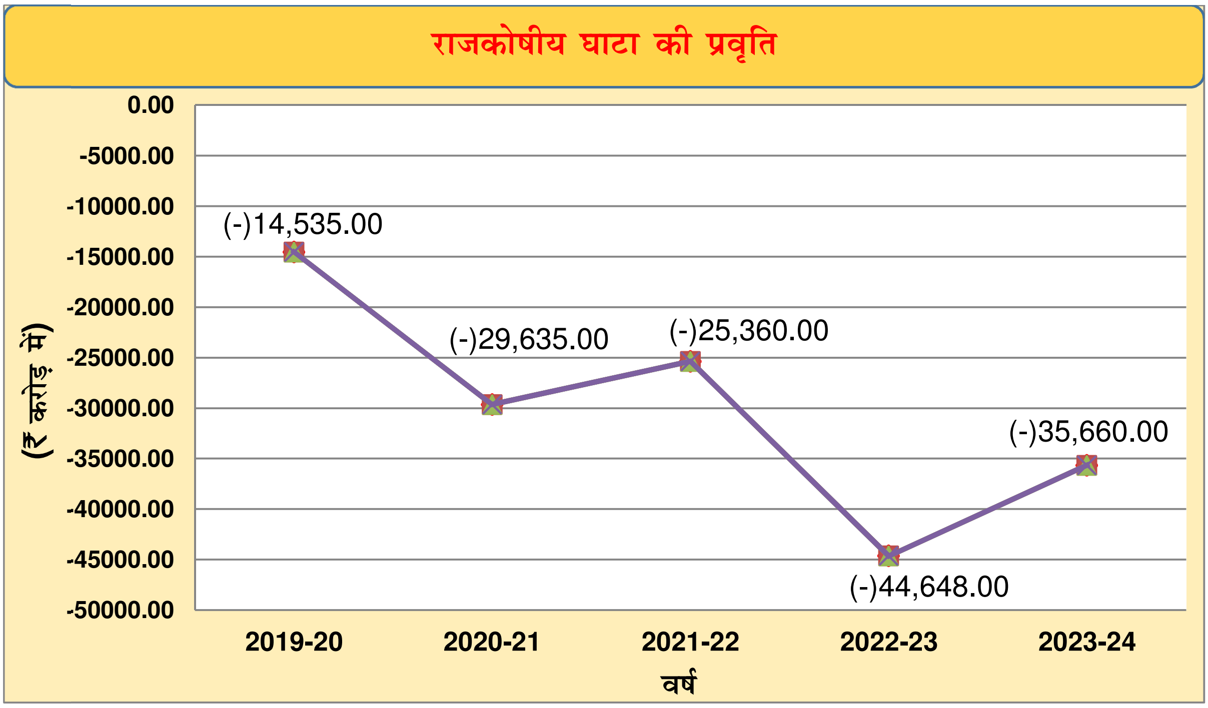

1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात

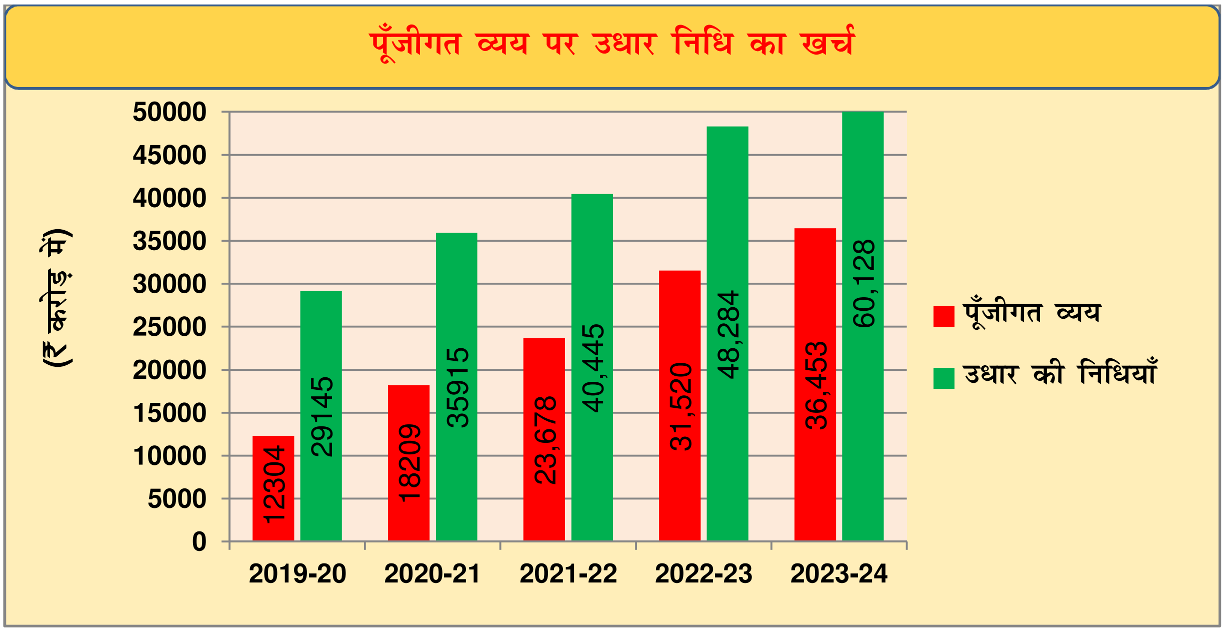

यह वांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णत: वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹36,453 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹60,218 करोड़) और राजस्व आधिक्य (₹2,833 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹2,38,103 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित है।
सहायता अनुदान	मूलतः संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं।

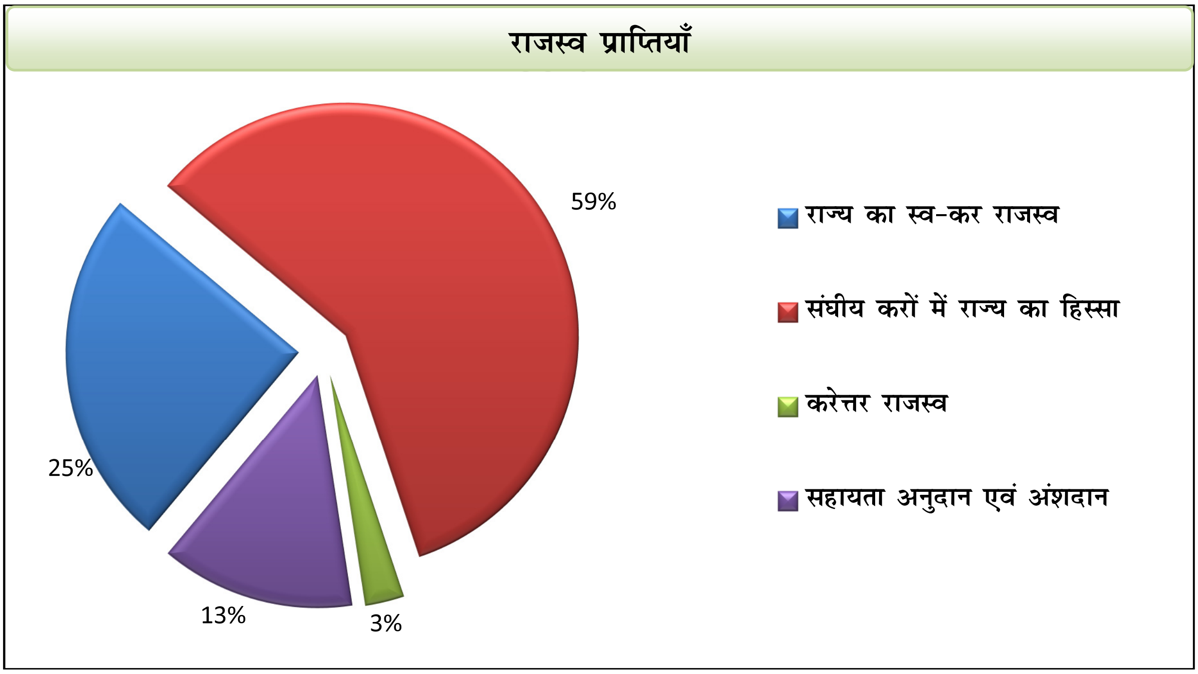

राजस्व प्राप्ति के घटक (2023-24)

(₹ करोड़ में)

घटक		वास्तविकी
क.	**कर राजस्व**	**1,61,965**
	राज्य का स्व-कर राजस्व	**48,361**
	वस्तु और सेवाकर	27,678
	आय तथा व्यय पर कर	180
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	6,928
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	13,575
	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	**1,13,604**
	वस्तु और सेवाकर	34,477
	आय तथा व्यय पर कर	73,479
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	0
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	5,648
ख.	**करेत्तर राजस्व**	**5,257**
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	906
	सामान्य सेवायें	798
	समाजिक सेवायें	33
	आर्थिक सेवायें	3,520
ग.	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**	**26,125**
	कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**1,93,347**

2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर राजस्व	93,564 (15)	90,203 (15)	1,26,207 (19)	1,39,528 (19)	1,61,965 (19)
करेत्तर राजस्व	3,700 (0.60)	6,201 (1)	3,984 (1)	4,135 (1)	5,257 (1)
सहायता अनुदान	26,969 (4)	31,764 (5)	28,606 (4)	29,025 (4)	26,125 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233 (20)	1,28,168 (21)	1,58,797 (24)	1,72,688 (23)	1,93,347 (23)
स० रा० घ० उ०	6,11,804	6,18,628	6,75,448	7,51,396	8,54,429

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

यद्यपि वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 13.71% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 11.96% की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कर राजस्व में 16.08% की वृद्धि तथा करेतर राजस्व में 27.13% की बृद्धि हुई। करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: निम्न के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुई:

- 'अन्य प्रशासनिक सेवायें' (₹196 करोड़),
- 'शिक्षा, खेल-कुद, कला और संस्कृति' (₹4 करोड़),
- ' शहरी विकास ' (₹0 करोड़),
- ' वृहद् सिंचाई ' (₹72 करोड़), तथा
- ' लघु सिंचाई ' (₹1 करोड़)।

इसके अलावा वर्ष 2023-24 में शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति' तथा 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के तहत संग्रहण क्रमश: ₹4 करोड़ तथा ₹5 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2022-23 में इनके विरूद्ध संग्रहण क्रमश: ₹6 करोड़ तथा ₹32 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत 'भूमि राजस्व' (₹580 करोड़) और 'वाहनों पर कर' (₹3,358 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटकों की प्रवृति

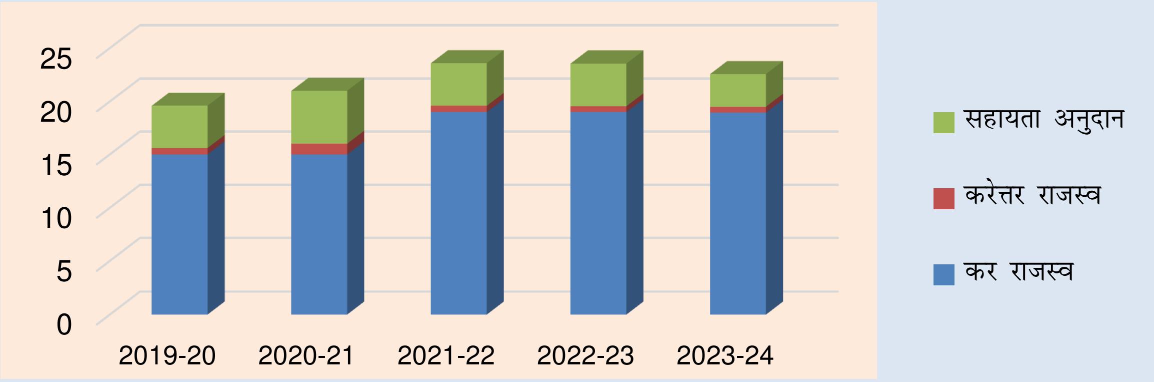

खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वस्तु और सेवाकर	33,794	33,839	44,706	50,232	62,155
आय तथा व्यय पर कर	38,673	36,705	53,981	63,438	73,659
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4,937	4,508	5,515	6,812	6,928
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	16,160	15,151	22,005	19,046	19,223
कुल-कर राजस्व	**93,564**	**90,203**	**1,26,207**	**1,39,528**	**1,61,965**

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: 'वस्तु और सेवाकर' (₹62,155 करोड़), 'निगमकर' (₹34,099 करोड़), 'आय पर निगमकर से भिन्न कर' (₹39,380 करोड़), 'आय और व्यय पर अन्य कर' (₹180 करोड़), 'भूमि राजस्व' (₹580 करोड़), 'सीमा शुल्क' (₹3,981 करोड़) तथा 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क' (₹1,507 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।

प्रमुख करों का स०रा०घ०उ० से अनुपातिक रूझान

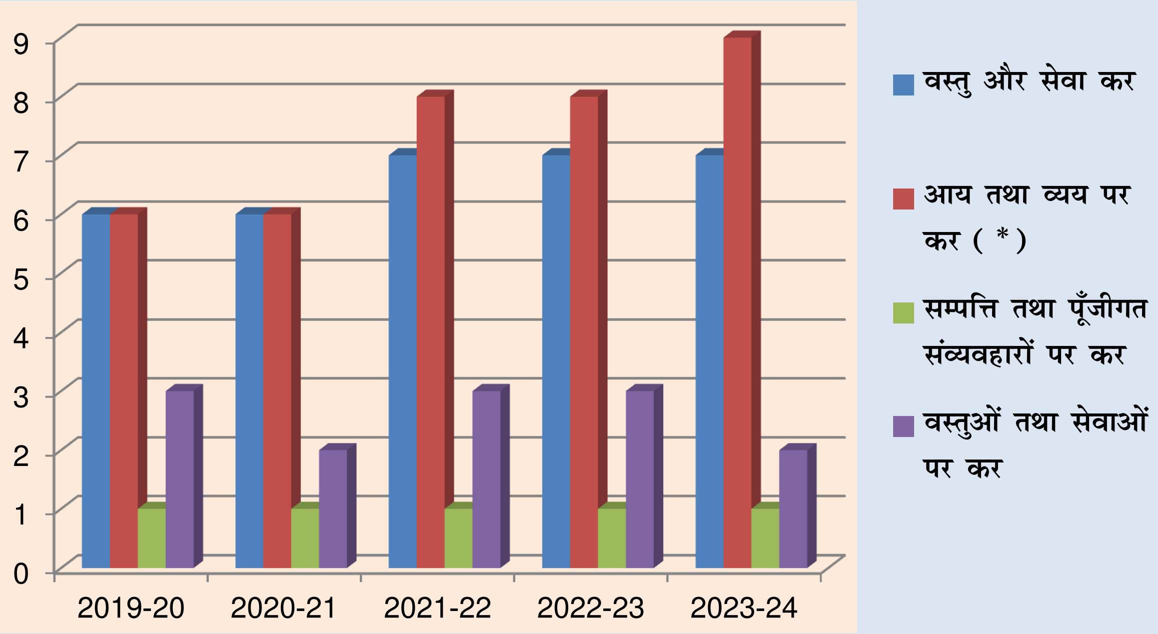

(*) राज्य को मुख्य रूप से केन्द्रांश के निवल आगमों का हिस्सा

2.4 राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश		राज्य का स्व-कर राजस्व	
		राशि	स० रा० घ० उ०* की प्रतिशतता	राशि	स० रा० घ० उ०* की प्रतिशतता
2019 - 20	93,564	63,406	10.36%	30,158	4.93%
2020 - 21	90,203	59,861	9.68%	30,342	4.90%
2021 - 22	1,26,207	91,353	13.52%	34,854	5.16%
2022 - 23	1,39,528	95,510	12.71%	44,018	5.86%
2023 - 24	1,61,965	1,13,604	13.30%	48,361	5.66%

(*) 2023-24 के लिए स0 रा0 घ0 उ0 ₹8,54,429 करोड़ था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''संघीय करों का राज्यांश'' 2019-20 के 10.36% से बढ़कर 2023-24 में 13.30% हो गया है, उसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''राज्य के स्व-कर राजस्व'' 4.93% से बढ़कर 5.66% हो गया है।

2.4.1 विगत पाँच वर्षों में राज्य के स्व-कर संग्रहण की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

कर	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बिक्री और व्यापार आदि पर कर	6,121	6,031	6,872	9,881	9,371
राज्य वस्तु और सेवाकर	15,801	16,050	19,264	23,243	27,678
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,661	4,206	5,224	6,451	6,348
माल तथा यात्रीकर	23	6	(-)1	1	(-)1
वाहनकर	2,713	2,268	2,475	2,935	3,358
भू-राजस्व	275	302	284	361	580
आय तथा व्यय पर अन्य कर	114	126	141	156	180
राज्य उत्पाद शुल्क	(-)4	(-)4	(-)1	1	1
अन्य	454	1,357	596	989	846
राज्य का कुल स्व-कर	**30,158**	**30,342**	**34,854**	**44,018**	**48,361**

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. वस्तु और सेवाकर

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व संग्रहण	33,794	33,839	44,706	50,232	62,155
संग्रहण पर व्यय	121	131	133	142	167
कर संग्रहण की दक्षता	0.36%	0.39%	0.30%	0.28%	0.27%

ख. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व संग्रहण	4,937	4,509	5,515	6,812	6,928
संग्रहण पर व्यय	290	704	847	1,012	1,027
कर संग्रहण की दक्षता	6%	16%	15%	15%	15%

ग. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व संग्रहण	16,160	15,150	22,005	19,046	19,223
संग्रहण पर व्यय	326	324	348	563	651
कर संग्रहण की दक्षता	2.02%	2.14%	1.58%	2.96%	3.39%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है।

2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वस्तु और सेवाकर	17,993	17,789	25,442	26,989	34,478
निगमकर	21,619	18,062	27,179	32,020	34,099
निगमकर से भिन्न आय पर कर	16,940	18,517	26,661	31,262	39,380
संपत्ति कर	1	0	7	0	0
सीमा शुल्क	4,019	3,180	6,776	3,755	3,981
संघ उत्पाद शुल्क	2,794	2,012	3,869	1,178	1,506
सेवाकर	0	258	1,326	149	21
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	40	43	93	157	139
संघीय करों का राज्यांश	**63,406**	**59,861**	**91,353**	**95,510**	**1,13,604**
कुल राजस्व कर	**93,564**	**90,203**	**1,26,207**	**1,39,528**	**1,61,965**
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	**68**	**66**	**72**	**68**	**70**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संघीय करों का प्रतिशत	**10**	**10**	**14**	**13**	**13**

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, वित्त आयोग अनुदान तथा राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹26,125 करोड़ थी, जो निम्नवत है:-

सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)

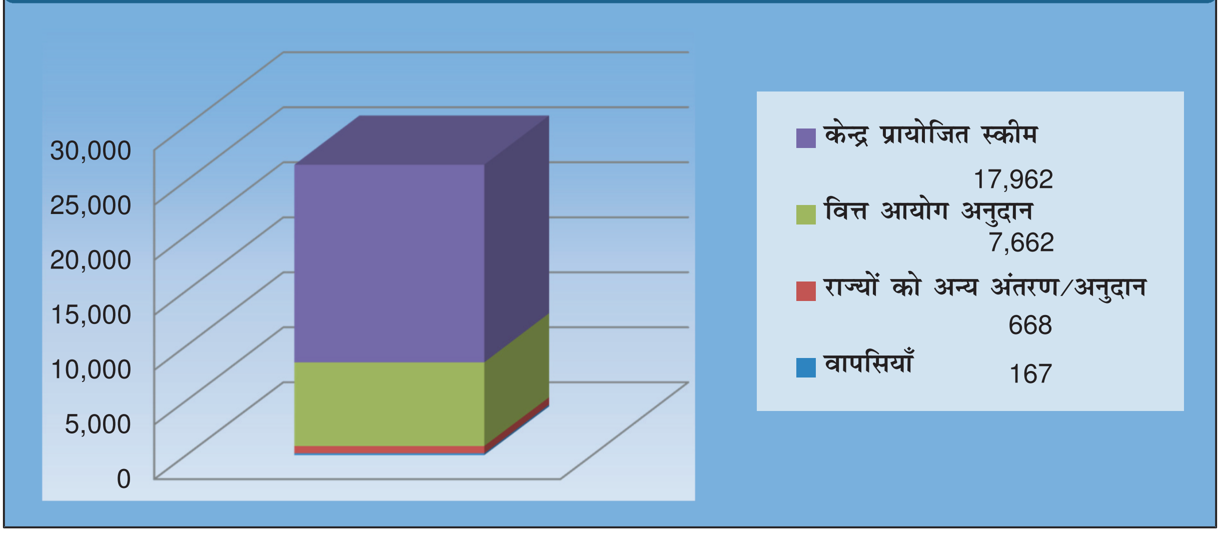

सहायता अनुदान वर्ष 2022-23 के तुलना में 2023-24 में घटकर 9.99 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान के बजट अनुमान ₹53,378 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹26,125 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 49 प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण

लोक ऋण में आंतरिक ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण में, बाजार कर्ज, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, वित्तीय संस्थानों से कर्ज तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि को जारी विशेष बंध पत्र सम्मिलित होते है।

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंतरिक ऋण	21,722	23,475	23,297	25,243	28,107
केन्द्रीय कर्ज	313	5,559	8,400	8,690	9,131
कुल लोक ऋण	22,035	29,035	31,697	33,933	37,238

2023-24 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹49,546 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹10,672 करोड़ के जोड़ के विरूद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹36,453 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।

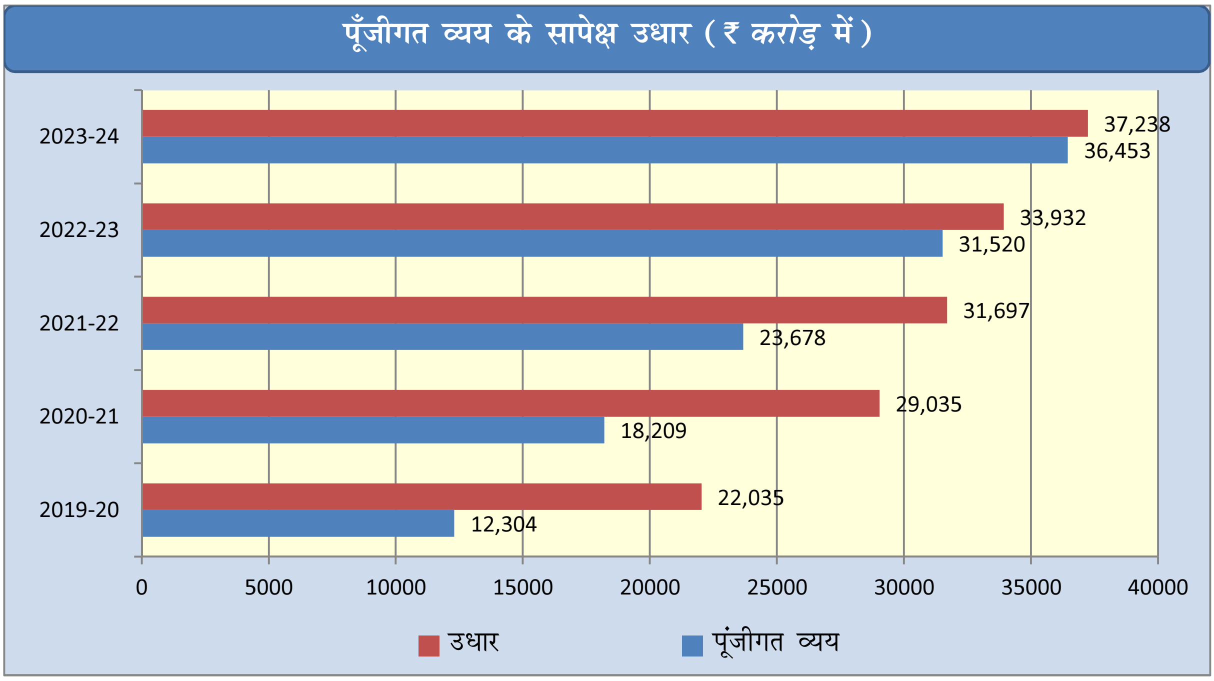

अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूंजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है। पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्त्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है। इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है।

सामान्य सेवायें	सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।

समाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।

आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व व्यय ₹1,90,514 करोड़ बजट अनुमान (₹2,07,848 करोड) से ₹17,334 करोड़ कम था। वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का 22.30 प्रतिशत था। विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्यय में कमी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बजट अनुमान	1,55,230	1,64,751	1,77,071	1,91,957	2,07,848
वास्तविकी व्यय	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514
अन्तर	29,213	25,258	17,851	7,981	17,334
बजट अनुमान से अंतर का %	19	15	10	4	8

राज्य उपलब्ध संसाधनों के बाद भी बजट का व्यय नहीं कर सका। बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के मध्य प्रतिशत अंतर 8 था जो विकास हेतु व्यय की गति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2023-24)

घटक		राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क.	सामान्य सेवायें	59,218	31
ख.	सामाजिक सेवायें	83,225	44
ग.	आर्थिक सेवायें	48,071	25
घ.	सहायता अनुदान तथा अंशदान	-	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)		**1,90,514**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2019-24)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	समाजिक सेवायें	57,816	63,808	76,115	88,349	83,225
2.	आर्थिक सेवायें	26,571	29,445	34,166	39,598	48,071
3.	सामान्य सेवायें*	5,763	33,946	35,117	42,207	44,034
4.	ऋण सेवायें	11,836	12,484	13,822	13,822	15,184
कुल		**1,01,986**	**1,39,683**	**1,59,220**	**1,83,976**	**1,90,514**

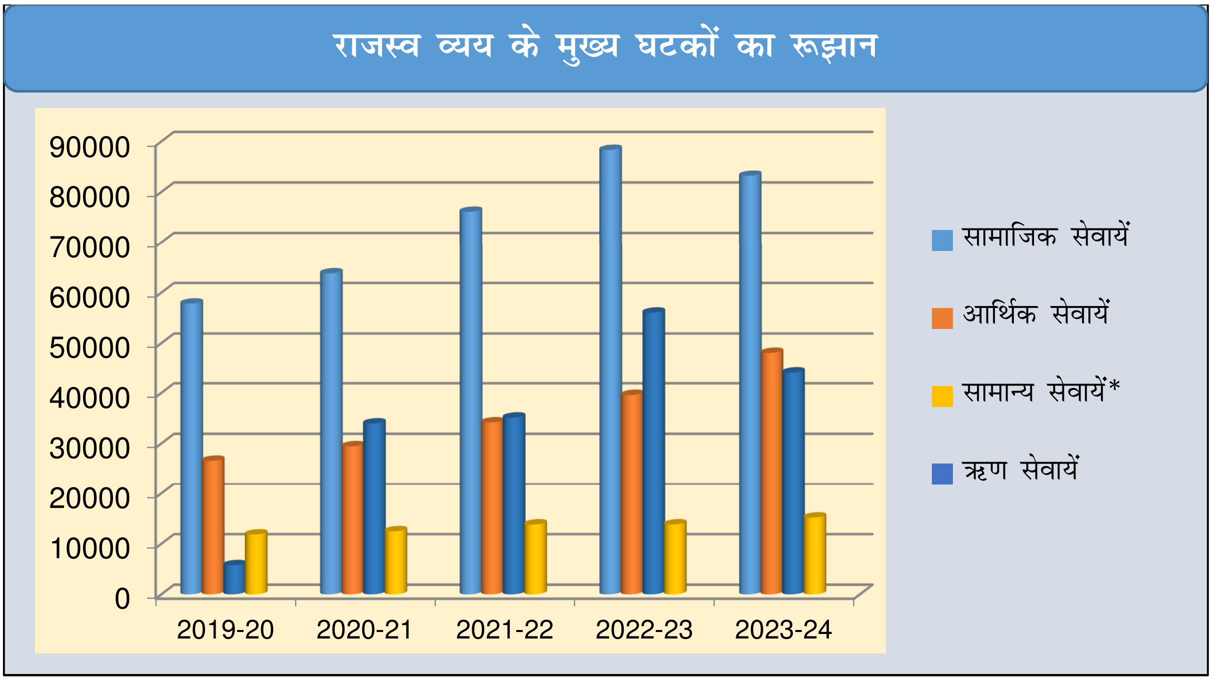

*सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष-2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष-2049 (ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष-3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

3.3 पूँजीगत व्यय

2023-24 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹38,589 करोड़ था जो जीएसडीपी का 4.52 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान (₹30,478 करोड़) से ₹8,111 करोड़ अधिक था।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹3,673 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹2,852 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹821 करोड़), बाढ़ नियंत्रण पर ₹2,202 करोड़, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹136 करोड़ और बिजली परियोजनाओं पर 1,782 करोड़ रुपये व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹2,488 करोड़ निवेश किया गया।

क्रम सं०	क्षेत्र	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1.	**सामान्य सेवायें**-पुलिस, भू-राजस्व आदि।	5,664	15
2.	**समाजिक सेवायें**-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।	7,001	18
3.	**आर्थिक सेवायें**- कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	23,788	62
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	2,136	5
	कुल	**38,589**	**100**

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	सामान्य सेवायें	2,388	1,387	3,507	3,255	5,664
2.	समाजिक सेवायें	2,803	6,332	5,154	5,967	7,001
3.	आर्थिक सेवायें	7,113	10,491	15,017	22,298	23,788
4.	ऋण तथा अग्रिम	666	1,113	1,479	2,057	2,136
कुल		**12,970**	**19,323**	**25,157**	**33,577**	**38,589**

पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार रूझान

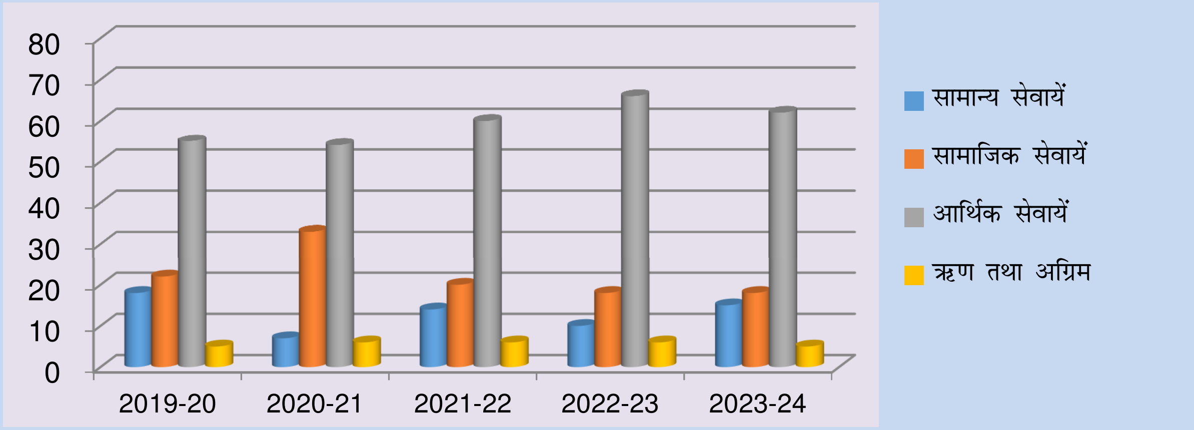

अध्याय IV

स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय

4.1 व्यय का संवितरण (2023-24)

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक व्यय
स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	1,01,835
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	1,27,268

व्यय का वितरण

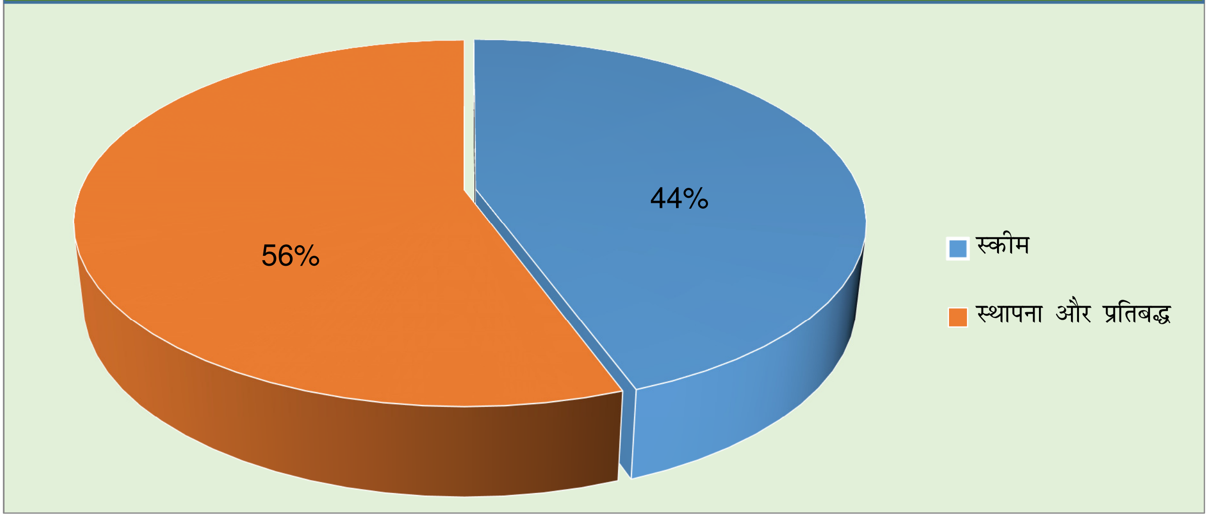

4.2 स्कीम व्यय

2023-24 के दौरान स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹1,01,835 करोड़ था जो कुल व्यय ₹2,29,103 करोड़ का 44 प्रतिशत था। इसमें राज्य स्कीम के अन्तर्गत ₹53,394 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹46,375 करोड़, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ₹17 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹2,049 करोड़ सम्मिलित हैं।

स०रा०घ०उ० तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय

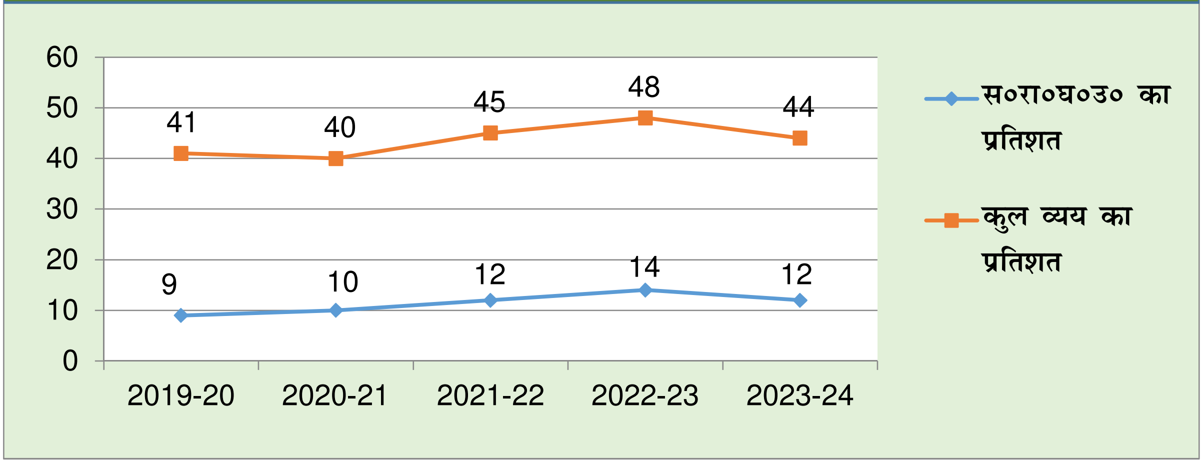

4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत स्कीम व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल पूँजीगत व्यय	12,970	19,323	25,157	33,577	38,589
पूँजीगत व्यय (योजना)	12,863	19,204	24,811	33,424	38,369
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (योजना) का प्रतिशत	99	99	99	99	99

4.3 स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

2023-24 के दौरान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय ₹1,27,268 करोड़ था, कुल व्यय ₹2,29,103 करोड़ का 56 प्रतिशत था। इसमें राजस्व के अंतर्गत ₹1,27,048 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹133 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹87 करोड़ सम्मिलित हैं।

स०रा०घ०उ० तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

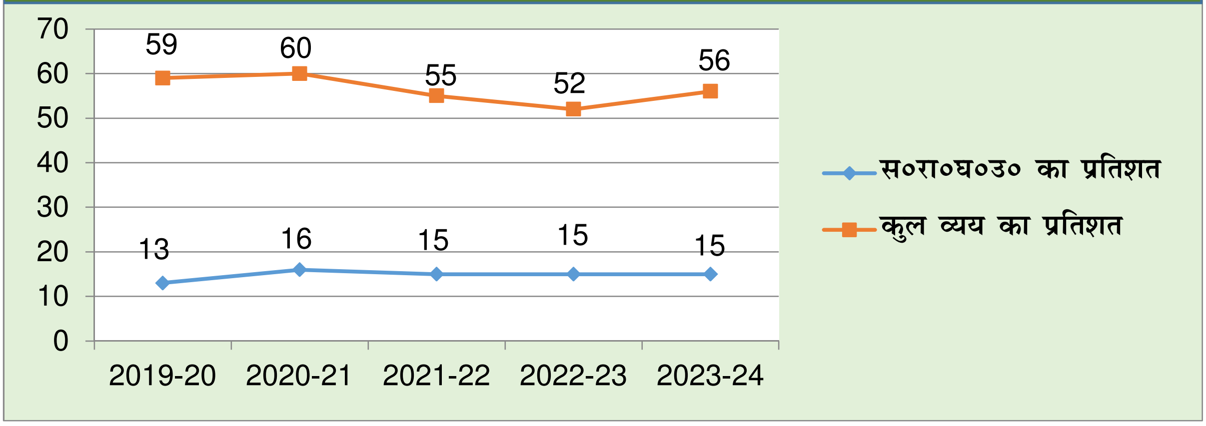

4.4 वचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

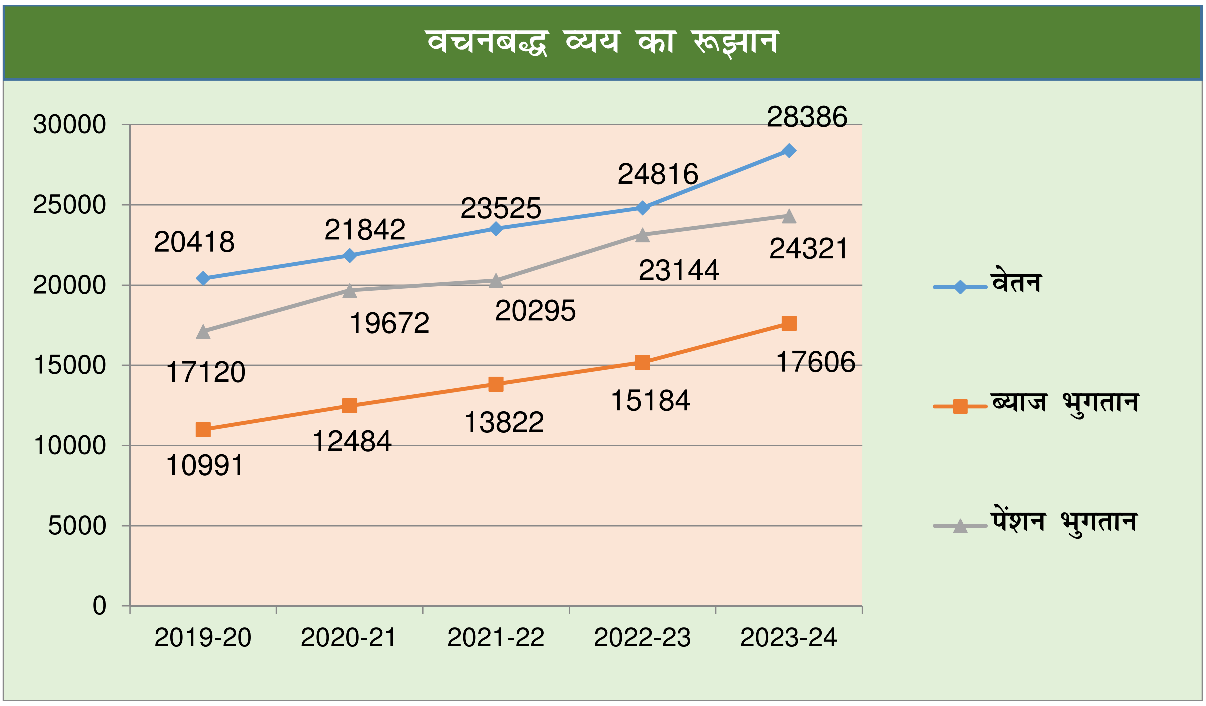

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वचनबद्ध व्यय	48,529	53,998	57,677	63,143	70,313
राजस्व व्यय	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	1,58,797	1,72,688	1,93,347
वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत राजस्व प्राप्ति के रूप में	39	42	36	37	36
वचनबद्ध व्यय का प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में	38	39	36	34	37

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत(-) अधिक व्यय(+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	1,87,677	47,750	19,457	2,35,427	1,78,300	(-)57,127
	प्रभारित	20,171	194	0	20,365	19,516	(-)849
2.	पूँजीगत						
	दत्तमत	29,257	14,848	4,335	44,105	37,423	(-)6,682
	प्रभारित	--	--	--	--	--	--
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	23,559	0	0	23,559	22,979	(-)580
4.	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	1,221	1,151	83	2,372	2,136	(-)236
	कुल	**2,61,885**	**63,943**	**23,875**	**3,25,828**	**2,60,354**	**(-)65,474**

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2019-20	(-)50,551	(-)26,784	(-)558	(-)954	(-)78,847
2020-21	(-)51,842	(-)24,977	(-)173	(-)615	(-)77,607
2021-22	(-)53,857	(-)16,848	(-)348	(-)141	(-)71,194
2022-23	(-)51,724	(-)14,433	(-)319	(-)35	(-)66,511
2023-24	(-)57,976	(-)6,682	(-)580	(-)236	(-)65,474

5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत है:-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
01	कृषि विभाग	41%	56%	53%	41%	46%
04	मंत्री मंडल सचिवालय विभाग	51%	64%	25%	69%	49%
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	39%	57%	45%	32%	54%
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	12%	76%	4%	18%	32%
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	50%	68%	41%	43%	34%
20	स्वास्थ्य विभाग	31%	31%	34%	42%	33%
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	24%	38%	54%	23%	37%
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	51%	55%	52%	71%	59%
31	संसदीय कार्य विभाग	0%	0%	69%	78%	78%
37	ग्रामीण कार्य विभाग	71%	55%	45%	32%	33%
38	मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग	25%	36%	27%	15%	38%
39	आपदा प्रबंधन विभाग	85%	28%	33%	36%	47%
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	42%	53%	40%	39%	36%
42	ग्रामीण विकास विभाग	48%	48%	40%	15%	53%
45	गन्ना उद्योग विभाग	35%	61%	68%	74%	49%
47	परिवहन विभाग	43%	47%	53%	46%	44%
52	खेल विभाग	0%	0%	0%	0%	42%

2023-24 के दौरान कुल ₹11,557 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 4.44 प्रतिशत) जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
01	कृषि विभाग	राजस्व	3,415	601	2,176
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1,509	155	1,331
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	312	212	224
07	निगरानी विभाग	राजस्व	46	3	39
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	331	39	171
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,166	146	1,103
		पूँजी	25	30	17
12	वित्त विभाग	राजस्व	1,774	13	1,698
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	177	30	168
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	742	-263	380
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	15,137	2,016	11,251
22	गृह विभाग	राजस्व	13,684	893	12,702
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	159	2	85
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	835	20	642
		पूँजी	30	9	29
28	बिहार उच्च न्यायालय	राजस्व	231	30	222
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	62	3	47
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	289	63	205
32	विधानमंडल	राजस्व	257	26	228
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	881	63	749
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	868	2	646
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पूँजी	1,487	150	1,013

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूँजी	7,670	3,400	6,180
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	583	92	427
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	5,126	396	2,937
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	1,529	263	1,157
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	15,401	2,602	8,569
43	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	राजस्व	488	104	481
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,806	105	1,537
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	123	7	66
47	परिवहन विभाग	राजस्व	415	39	259
		पूँजी	20	6	12
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	232	37	217

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होनेवाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2023-24 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹41,513 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹9.51 करोड़ (अर्थात् 0.229 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश में ₹2,488 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में वर्ष 2022-23 (₹1.49 करोड़)की तुलना में ₹8.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹14,876 करोड़ था तथा जो मार्च 2024 के अंत में बढकर ₹27,489 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	लोक लेखे (*)	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	कुल देयताएँ	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता
2019-20	1,48,180	24	45,202	7	1,93,382	32
2020-21	1,77,215	29	49,981	8	2,27,196	37
2021-22	2,08,913	31	48,597	7	2,57,510	38
2022-23	2,42,846	32	50,461	7	2,93,307	39
2023-24	2,80,084	33	52,657	6	3,32,741	39

(*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

2022-23 (₹2,93,307 करोड़) की तुलना में 2023-24 (₹3,32,741 करोड़) के अंत तक लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹39,434 करोड़ (13 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

(₹ करोड़ में)

सरकार की देयताओं का रूझान				
वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	अल्प बचत तथा भविष्य निधियाँ	अन्य दायित्व (*)
2019-20	1,36,082	12,098	9,279	35,923
2020-21	1,59,557	17,657	9,445	40,536
2021-22	1,82,855	26,058	9,517	39,075
2022-23	2,08,098	34,748	9,397	41,065
2023-24	2,36,205	43,879	9,141	43,516

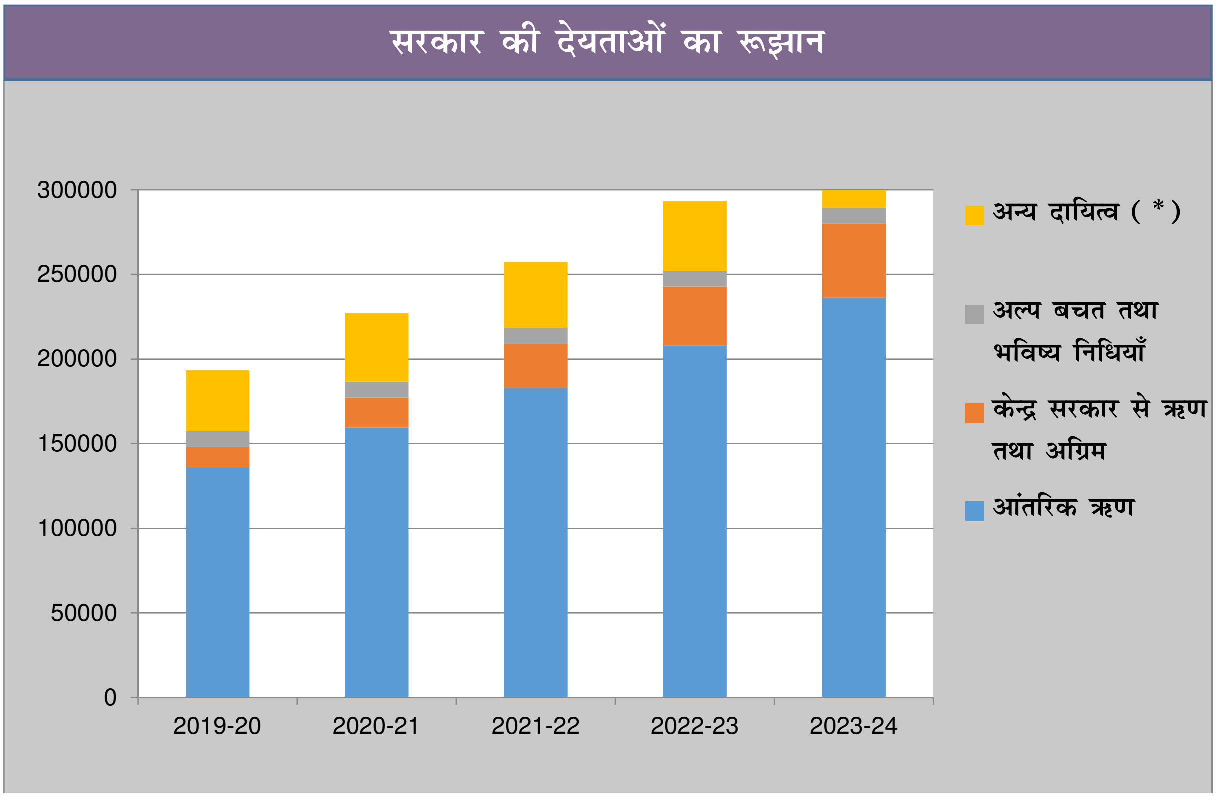

(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि।

6.3 गारंटियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जो और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2019-20	20,834	5,380	105
2020-21	24,972	16,080	328
2021-22	37,317	24,655	415
2022-23	40,317	25,257	683
2023-24	50,425	26,715	1,326

अध्याय VII

अन्य विषयें

7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2024 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹2,36,205 करोड़ शेष है।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण

31 मार्च 2024 तक 23 विभागों (33 ऋणदाता संस्थाओं) से संबंधित ₹13,399.63 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में, वर्ष 2014 से लंबित ऋणों सहित पिछले कई वर्षों के दौरान मूलधन की वसूली नहीं की गई है।

सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं के ₹2,048.17 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान के नियम और शर्तों का निपटान नहीं किया गया है (विस्तृत विवरण वित्त लेखे खण्ड-II की विवरणी 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में हैं)। परिणामतः, इस संबंध में राज्य सरकार की प्राप्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय वार्षिक रूप से ऋण शेषों (जहाँ इनके द्वारा विस्तृत खातों का रखरखाव किया जाता है) का सत्यापन और स्वीकृति के लिए संस्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करते हैं। 34 विभागों/ऋणदाताओं में केवल 01 ने शेष राशियों की पुष्टि की है। शेष राशि के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे, खण्ड-II के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2019-20 में ₹46,582 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹77,600 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 31 प्रतिशत (₹23,707 करोड़) जिलापरिषदों, नगरपालिकाओं/ नगरनिगमों/ परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/ परिषद	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य*	कुल
2019-20	1,429	1,271	8,542	35,340	46,582
2020-21	1,760	4,784	11,139	37,246	54,929
2021-22	3,279	5,383	9,989	46,364	65,015
2022-23	2,859	4,991	11,615	60,476	79,941
2023-24	3,323	6,952	13,432	53,893	77,600

*मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्वशिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2023 को	31 मार्च 2024को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	806	727	(-)79
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	14,070	26,762	12,692
अन्य रोकड़ शेष			
(क) विभागीय शेष	235	233	(-)2
(ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	765	766	1
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	7,028	8,495	1,467
(क) निपेक्ष निधि	0	0	0
(ख) गारंटी उन्मोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
*** प्राप्त ब्याज**	276	264	(-)12

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2023-24 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 4.30 प्रतिशत की कमी हुई।

7.5 लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

कोषागार लेखों के लेखों को CFMS के माध्यम से 01.04.2019 के प्रभाव से लागू किया गया है।

बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 43 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के आधार पर संकलित किया गया है। 618 लोक निर्माण कार्य प्रभागों यथा भवन निर्माण (62), पथ निर्माण (78), जल संसाधन (245), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (58), योजना एवं विकास (पंचायती राज) (57), ग्रामीण कार्य (118) एवं 49 वन प्रमण्डलों के लेनदेन कोषागार लेखा में शामिल किये गये हैं। वर्ष की समाप्ति पर कोई भी लेखा विलोपित नहीं किया गया है।

7.6 सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) को निधियों का अंतरण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत धन जारी करने और सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए एसएनए की स्थापना अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में उसके बैंक खाते के साथ की जाती है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रांश के साथ-साथ राज्यांश को भी केंद्रांश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एसएनए खाते में अंतरित करना होता है। एसएनए खाते में केंद्रांश के अंतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर, राज्य सरकार को 01-04-2023 से 7% प्रति वर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

राज्य सरकार के अनुसार, वर्ष के दौरान, कोषागार खाते में ₹18,231.24 करोड़ केंद्रांश तथा ₹17,624.65 करोड़ (एसएनए रिपोर्ट के अनुसार) केंद्रांश प्राप्त हुआ। पीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक, राज्य सरकार ने एसएनए को ₹18,173.89 करोड़ केंद्रांश तथा ₹12,971.30 करोड़ राज्ययांश अंतरित किया। इस प्रकार, कुल अंतरित राशि ₹31,145.19 करोड़ है। एसएनए को केंद्रांश के ₹57.35 करोड़ का कम अंतरण हुआ, जो इस सीमा तक नकद शेष को अतिदर्शित बताता है।

सीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार, ₹31,145.19 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹22,470.94 करोड़ जीआईए बिलों के माध्यम से और ₹8,674.25 करोड़ पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए है। एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एजी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए है।

जैसा कि राज्य सरकार ने पीएफएमएस एसएनए-01 रिपोर्ट के माध्यम से बताया है, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹14,738.14 करोड़ बिना खर्च किए पड़े है।

7.7 राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ तथा अंतर्निहित सब्सिडी

ऑफ-बजट उधार उस सीमा तक सरकार का भार है जहाँ तक मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताएँ नहीं दर्शायी है। हालांकि, वर्ष 2023-24 में, राज्य सरकार ने ₹53.48 करोड़ बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसी) को ऑफ-बजट उधार के रूप में सूचित किया है (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को दी गयी के अनुसार)।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ऑफ बजट उधार हेतु सहायता/अनुदान के रूप में ₹268.61 करोड़ प्रदान किए, जिसमें नाबार्ड से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु शीर्ष 2425-00-190-0011 अंतर्गत बिहार राज्य भंडारण निगम को दी गयी ₹10.09 करोड़ की राशि शामिल है।

ऑफ-बजट उधार के अलावा, लागत की वसूली न होने के कारण बिजली कंपनियों को ₹13,114.04 करोड़ की सब्सिडी भी उसी वर्ष प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान कोई गारंटी विलोपित नहीं की गई है।

7.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 177 में यह निदेशित है कि मांग के पूर्वानुमान अथवा बजटीय अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोई धन कोषागार से नहीं निकाला जाना चाहिए। आकस्मिक परिस्थिति में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से राशि निकालने के लिए प्राधिकृत हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 194 के अनुसार, डीडीओ द्वारा जिस माह में कोषागार से अग्रिम लिया गया था, उसके पूरा होने से छह महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों (वाउचर) सहित विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

30/09/2023 तक ₹68,370.28 करोड़ की राशि के कुल 1,26,698 ए.सी. बिल की निकासी की गयी। इसमे ₹9,205.76 करोड़ की राशि के 22,130 ए.सी. बिल मार्च, 2024 के अंत तक डी.सी. बिल हेतु देय थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹4,718.24 करोड़ के कुल 5,088 ए.सी. विपत्रों में से मार्च 2024 में ₹1,041.12 करोड़ (22.06 प्रतिशत) की राशि की निकासी 1,648 ए.सी. विपत्रों द्वारा की गयी। 31 मार्च 2024 तक समायोजन हेतु देय ₹9,205.76 करोड़ (पूँजीगत व्यय हेतु ₹5,577.91 करोड़ शामिल) की राशि के कुल 22,130 ए.सी. बिलों के संबंध में डी.सी. बिल 21.06.2024 तक प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2024 तक असमायोजित एसी विपत्रों के लंबित डीसी विपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

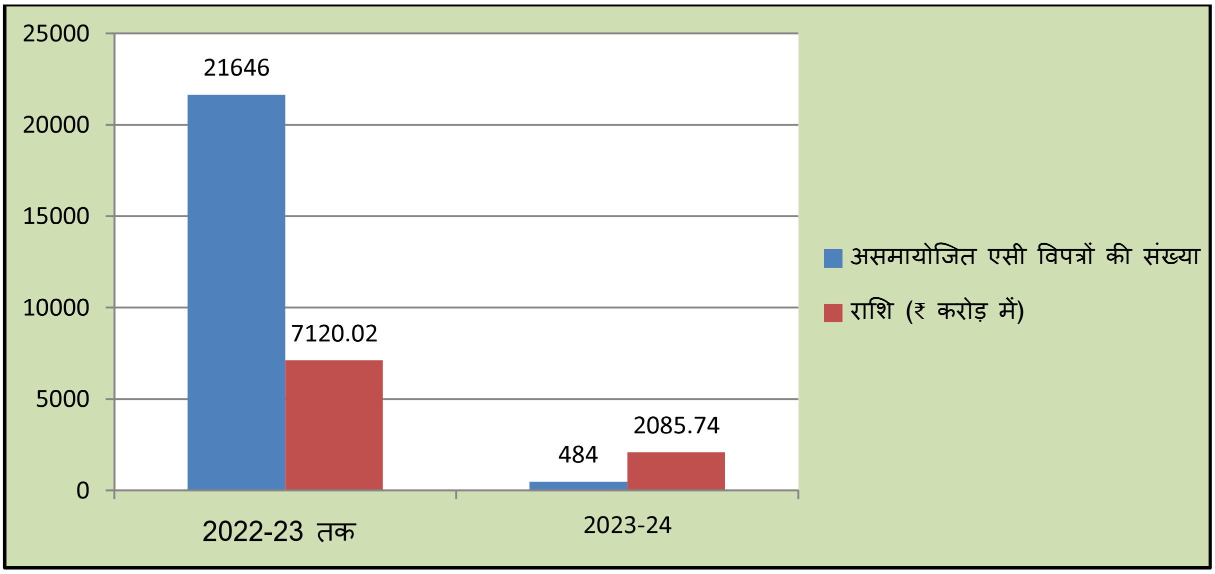

7.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का प्राप्त न होना

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 271 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सशर्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), अनुदानग्राही को अनुदान प्राप्त करने की तारीख से 18 महीने के अंदर या उसी प्रयोजन पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने के पूर्व, जो भी पहले हो, अनुदान संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बात का जोखिम है कि वित्त लेखे में उल्लेखित राशि संभवतः लाभार्थियों तक नहीं पहुँची थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए 65,390 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित ₹1,57,890.29 करोड़ की राशि देय थी। इनमें से 15,741 बकाया यूसी से संबंधित ₹87,012.68 करोड़ का समाशोधित किया गया। 31.03.2024 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

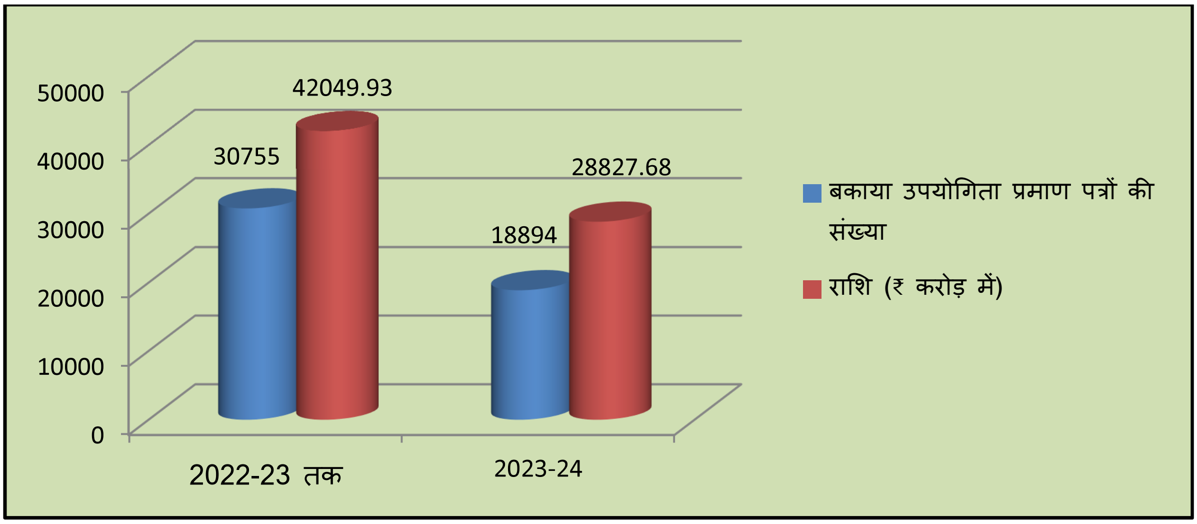

उपर्युक्त वर्णित वर्ष 'लंबित वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्।

नोट: देय तिथि के बाद और देय तिथि से पहले क्रमशः ₹79,421.63 करोड़ और ₹26,087.62 करोड़ की राशि आंशिक रूप से समायोजित की गई है।

7.10 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते में निधि का अंतरण

नामित आहरण अधिकारी किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पी.डी. खाते से व्यय करने हेतु सक्षम है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की समेकित निधि से ₹1,160.63 करोड़ की राशि पीडी खातों में अंतरित की गयी। इसमें मार्च 2024 में अंतरित ₹230.75 करोड़ शामिल हैं, जिनमें से ₹3.76 करोड़ मार्च 2024 के अंतिम कार्य दिवस को अंतरित किए गए। 31 मार्च 2024 को केंद्र से ₹20.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 353 के अनुसार, 252 पीडी खातों में से 44 पीडी खातों के प्रशासकों ने कोषागार आँकड़ों के साथ अपने शेषों का मिलान तथा सत्यापन कर लिया। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को कोषागार अधिकारियों से 44 वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।

31 मार्च 2024 तक पी.डी. खाते से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है: **(₹ करोड़ में)**

विवरणी	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
आदि शेष	242	3,858.07
सीएफएमएस में माईग्रेट नहीं किये गये	4	1.54
वर्ष के दौरान प्राप्ति	12	1,160.67
वर्ष के दौरान भुगतान	02	2,838.28
अंत शेष	252	2,180.46

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने अधिसूचना संख्या 2916 दिनांक 03/06/2020 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 01/04/2019 से पहले के सभी पीडी खाते 01/04/2019 को सीएफएमएस प्रणाली अंतर्गत स्वत: खुले माने जाने हैं तथा 'पाँच अनुवर्ती वित्तीय वर्षों बाद' अव्ययित राशि समेकित निधि के संबंधित शीर्षों में वापस अंतरित की जानी चाहिए। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, किसी भी कोषागार अधिकारी/प्रशासक ने संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कटौती के रूप में व्यपगत जमा या अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

7.11 सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बीच प्राप्तियों और व्यय एवं राज्य द्वारा दिया गया ऋण तथा अग्रिम का सत्यापन

सभी नियंत्री अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बिहार द्वारा दिए गए आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹2,53,602.34 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 99.98 प्रतिशत, ₹2,53,660.71 करोड़) की कुल प्राप्तियों तथा ₹1,88,201.26 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 98.79 प्रतिशत, ₹1,90,514.17 करोड़) का कुल राजस्व व्यय एवं ₹36,364.75 करोड़ (कुल पूँजीगत व्यय का 99.76 प्रतिशत, ₹36,453.02 करोड़) का कुल पूँजीगत

व्यय का मिलान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम राशि ₹2,135.86 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिम का 100.00 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

इसकी तुलना में, पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹1,43,135.46 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 82.89 प्रतिशत) की प्राप्तियाँ और ₹1,63,284.02 करोड़ (कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय का 75.77 प्रतिशत) की व्यय राशि का मिलान किया गया था।

7.12 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

01/09/2005 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं, जो परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 प्रतिशत और राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। पूरी राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित करना होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस में अंतरित कुल राशि ₹3,402.09 करोड़ थी (कर्मचारियों का योगदान 10 प्रतिशत की दर से ₹1,387.46 करोड़ और सरकार का योगदान 14 प्रतिशत की दर से ₹1,984.79 करोड़ और सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज ₹29.84 करोड़)। सरकार के योगदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे खण्ड-II के विवरण संख्या 15 अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2071 और 2049 में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखा खाते में ₹3,402.09 करोड़ अंतरित किए। एनपीएस में सरकार का योगदान ₹42.35 करोड़ से अधिक था (सरकार का वास्तविक योगदान ₹1,984.79 करोड़ घटाव सरकार का अपेक्षित योगदान ₹1,942.44 करोड़)। इस निधि में प्रारंभिक शेष ₹258.16 करोड़ था। सरकार ने 31 मार्च, 2024 तक ₹3,650.00 करोड़ एनएसडीएल को अंतरित कर दिए हैं, जिससे ₹10.24 करोड़ (₹3,660.24 करोड़ घटाव ₹3,650.00 करोड़) का शेष रह गया है, जिसे अभी एनएसडीएल को अंतरित किया जाना है। 2020-21 से पहले, नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान मुख्य शीर्ष 8011-106 में जमा किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक, इस शीर्ष के अंतर्गत अंत शेष ₹40.87 करोड़ थी, जिसे एनएसडीएल को अंतरित किया जाना है। ₹51.11 करोड़ (₹10.24 + ₹40.87 करोड़) का अंतरित न किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार का नकदी शेष उस सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

7.13 उचन्त लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उचन्त लेखे खातें में शेष 2019-20 के ₹10,498 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹5,611 करोड़ हो गया।

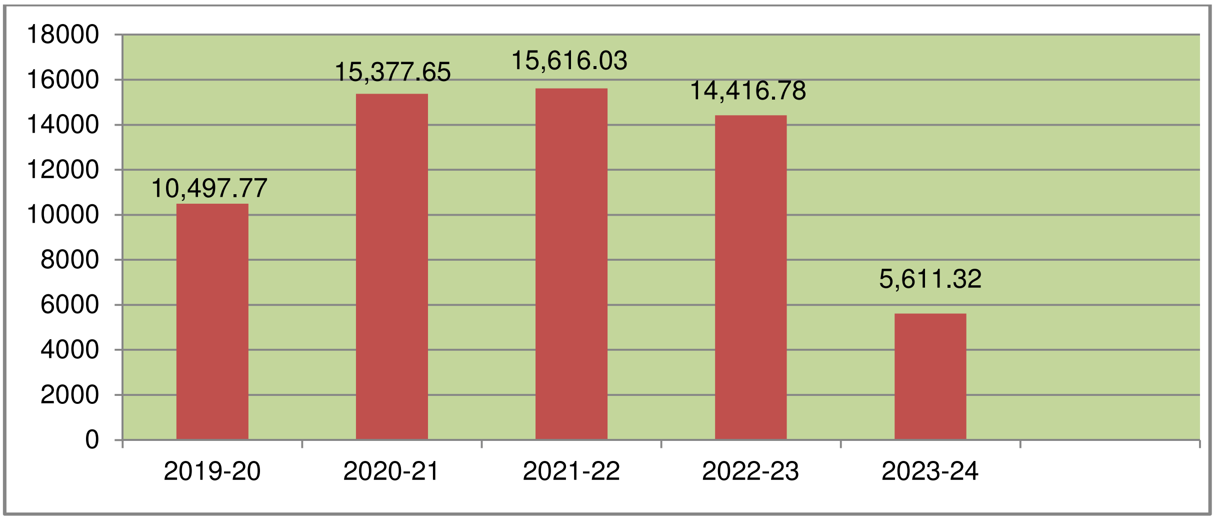

पिछले पाँच वर्षों के उचंत खातें के अंतर्गत शेष का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ करोड़ में)

उचन्त लेखे	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त	289.24	313.90	365.08	360.73	310.07
उचन्त लेखा (सिविल)	9,857.46	14,527.78	14,785.91	13,832.20	4,872.12
नकद परिनिर्धारण उचन्त लेखा	32.29	32.29	32.29	32.29	32.29
रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	274.00	262.63	261.72	257.40	3.33
रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	299.58	605.60	354.98	358.26	355.51
विभागीय समायोजन लेखा	104.41	104.41	104.41	104.41	104.41
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	327.70	464.67	284.44	525.39	62.88
सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचन्त लेखा	66.11	66.11	66.11	66.11	66.11

7.14 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान, 31 मार्च 2024 तक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय ₹31,205.63 करोड़ [राजस्व व्यय (₹29,076.51 करोड़) और पूंजीगत व्यय (₹2,129.12 करोड़)] है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता (₹18,503.96 करोड़) और राज्यांश (₹12,701.67 करोड़) में से व्यय शामिल है।

7.15 अप्रत्याशित और असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान, बिहार सरकार ने राहत और सहायता के लिए राजस्व व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित राहत उपायों पर ₹674.88 करोड़ (पिछले वर्ष 2022-23 में ₹213.64 करोड़) खर्च किए।

सरकार इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार से ₹1,248.80 करोड़ प्राप्त किये, जो सहायता अनुदान/केन्द्रीय सहायता आदि हैं, जिनका लेखा मुख्य शीर्ष-1601 और 8121 के अंतर्गत किया गया है।

7.16 डीडीओ बैंक खाता में निधि का अंतरण

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177 के अनुसार, सरकारी कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि उसे तत्काल भुगतान के लिए आवश्यक न हो। 52 अनुदानों में से 5 अनुदानों के डीडीओ ने अपने बैंक खाते में धनराशि अंतरति करने से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

मांग संख्या	2023-24 के दौरान राशि का अंतरण	2023-24 के दौरान कुल अंतरित राशि में से व्यय	31 मार्च 2024 तक अव्ययित राशि
10	16,155.90	16,130.27	25.62
34	21.09	19.35	1.74
43	21.22	13.98	7.23
44	14.90	12.00	2.90
50	1.78	1.67	0.11

7.17 भारत सरकार लेखांकन मानक (आई0जी0ए0एस0) का अनुपालन

सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से जो निर्णय लेने और सार्वजनिक जवाबदेही की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) ने लेखांकन की नकद प्रणाली के लिए भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) तैयार किया है। आईजीएएस, संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से तीन आईजीएएस अनिवार्य हो गए है।

आईजीएएस-1-सरकारों द्वारा दी गई गारंटी: वित्त लेखा की विवरणी 9 एवं 20 में गारंटियों का क्षेत्र-वार तथा वर्ग-वार विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार दिया गया है।

सरकार प्रतिबद्ध लेखाकरण का अनुसरण नहीं करती है और प्रतिबद्धताएँ न तो दर्ज की गयी हैं और न हीं प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध देयता स्वीकृत है परंतु वित्त लेखा के परिशिष्ट XII में आगामी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है।

आईजीएएस-2-सहायता अनुदान का लेखा एवं वर्गीकरण: सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण के अनुपालन में नकद सहायता अनुदान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत मामलों को छोड़कर संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मानी जाती हैं चाहें इसमें अनुदेयी द्वारा परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल क्यों न हो। प्राप्त सभी अनुदान राजस्व प्राप्ति के रूप में माने जाते है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के वर्गीकरण एवं लेखाकरण की आवश्यकताओं का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 10 एवं परिशिष्ट-III में दिया गया है। वस्तु के रूप में दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

आईजीएएस-3-सरकार द्वारा दी गयी ऋण तथा अग्रिम: आई.जी.ए.एस. 3: सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिम के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिम का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 7 एवं 18 में दिया गया है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/bihar/hi